

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/नीलामी/2018/1325

दिनांक:- 23/2/18

आदेश

आवासीय अभियन्ता खण्ड चतुर्थ जोधपुर के अधीन कूड़ी भगतासनी योजना जोधपुर सैक्टर-8 में उच्च आय वर्ग के 8, मध्यम आय वर्ग-ब के 16, अल्प आय वर्ग के 6 एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 4 कुल 34 स्ट्रे प्लॉट्स (रहवासीय भूखण्ड) को उप आवासन आयुक्त वृत प्रथम जोधपुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, जोधपुर एवं मुख्य अभियन्ता द्वितीय की अनुशंसा एवं निर्देशानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रधान की जाती है। निस्तारित किये जाने वाले स्ट्रे प्लॉट्स (रहवासीय भूखण्ड) का विवरण निम्नानुसार है :-

S.NO.	Plot No.	Category	Corner/Ordinary	Standard Plot Area (Sqm.)	Actual Plot Area (Sqm.)
1.	8-A-63	HIG	CORNER	210.00	197.50
2.	8-A-64	HIG	ORDINARY	210.00	208.42
3.	8-A-65	HIG	ORDINARY	210.00	208.42
4.	8-A-66	HIG	ORDINARY	210.00	208.42
5.	8-A-85	HIG	ORDINARY	210.00	213.15
6.	8-A-86	HIG	CORNER	210.00	208.075
7.	8-A-159	HIG	CORNER	210.00	208.47
8.	8-A-118	HIG	CORNER	210.00	298.24
9.	8-B-21	MIG-B	CORNER	162.00	290.70
10.	8-B-22	MIG-B	ORDINARY	162.00	162.00
11.	8-B-47	MIG-B	CORNER	162.00	300.60
12.	8-B-48	MIG-B	ORDINARY	162.00	162.00
13.	8-C-107	MIG-B	CORNER	189.00	168.35
14.	8-C-108	MIG-B	CORNER	189.00	169.15
15.	8-C-109	MIG-B	ORDINARY	189.00	187.95
16.	8-C-110	MIG-B	ORDINARY	189.00	187.95
17.	8-C-77	MIG-B	CORNER	189.00	144.00
18.	8-C-136	MIG-B	CORNER	189.00	151.20
19.	8-C-137	MIG-B	CORNER	189.00	143.55
20.	8-C-150	MIG-B	CORNER	189.00	149.85
21.	8-C-151	MIG-B	CORNER	189.00	176.40
22.	8-C-164	MIG-B	CORNER	189.00	176.40
23.	8-C-165	MIG-B	CORNER	189.00	176.40
24.	8-C-178	MIG-B	CORNER	189.00	176.40
25.	8-L-168	LIG	CORNER	72.00	91.80
26.	8-L-169	LIG	CORNER	72.00	92.40
27.	8-L-170	LIG	ORDINARY	72.00	72.00
28.	8-M-120	LIG	CORNER	72.00	72.00
29.	8-M-135	LIG	CORNER	72.00	79.20
30.	8-M-146	LIG	CORNER	72.00	81.60
31.	8-H-285	EWS	ORDINARY	55.00	55.00

32.	8-H-286	EWS	CORNER	55.00	88.00
33.	8-J-44	EWS	ORDINARY	55.00	55.00
34.	8-J-74	EWS	CORNER	55.00	76.17

उक्त 34 स्ट्रे प्लाटस (रहवासीय भूखण्ड) का निस्तारण नीलामी के माध्यम से निम्न शर्तों पर किया जाना प्रस्तावित है:-

1. योजना में आवास/फ्लेट/स्ट्रे प्लॉट्स आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लेट आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हों लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/ फ्लेट/आवासीय भूखण्डों (स्ट्रे प्लॉट्स) की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रमाणन भी किया जावे कि उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावे।
3. आवास/ फ्लेट/आवासीय भूखण्डों (स्ट्रे प्लॉट्स) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों (स्ट्रे प्लॉट्स) के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचारधीन नहीं है। "निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।"
5. आवास/फ्लेट/आवासीय भूखण्डों (स्ट्रे प्लॉट्स) के न्यूनतम बिड मूल्य के प्रस्तावों के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावे।

उक्त को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, रा0 आ0 मा0, जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0म0, वृत्त प्रथम, जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड चतुर्थ, रा0आ0म0 जोधपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक